



EDITOR'S SCATVIEW

Manoj Kumar Madhavan

The NTO 3.0 has come into effect from February 1, 2023. The various cable TV associations from across the country have been making desperate attempts to get the NTO 3.0 stalled and have made urgent requisitions to TRAI and I&B Ministry. Also filed petitions in various courts. However, none of this has had any impact yet. Majority of DPOs have already signed up with the broadcasters agreeing to the latest NTO regime.

The big broadcasters' trio of Disney Star, Sony and Zee have already sounded out to TRAI on the list of MSOs who have signed and implemented NTO 3.0.

Tata Play, Dish TV and Airtel Digital TV have also given in and agreed to implement NTO 3.0.

The lone warriors fighting the battle is AIDCF (All India Digital Cable Federation) members and a few other associations. They are awaiting a clarity from Kerala High Court, which has refused to stay the implementation, and next hearing is end February 2023. Even Siti Cable has joined the bandwagon of players which will implement NTO 3.0. Siti Cable is fighting a desperate battle for survival in the midst of its financial woes.

The actual full scale implementation of NTO 3.0 will take around 60 days. By then we will get a clear indication from the High Court if there is any directive to stall the NTO 3.0. But this looks like a remote possibility in the current juncture.

The broadcasters are pushing hard and fast on a speedy implantation of NTO 3.0.

The LCOs are also demanding Infrastructure status for the digital cable TV industry. This they believe will help them get benefits which the telecom companies are enjoying. And the LCO community feels that if the National Digital Communications Policy of extending broadband to every Indian citizen has to work, then the LCOs will be a major stakeholder to help deliver broadband in the last mile connectivity across the country. This is a valid point and needs to be considered seriously by the government.

Let us hope that there emerges a solution to the battle waged by the cable TV industry and they see better days ahead.

(Manoj Kumar Madhavan)



एनटीओ 3.0, 1 फरवरी 2023 से प्रभावी हो गया है। देशभर के विभिन्न केबल टीवी संघ एनटीओ 3.0 को ठप करने के लिए बेताबी से प्रयास कर रहे हैं और इस बाबत ट्राई व आईएनवी मंत्रालय से तत्काल अनुरोध किया है। विभिन्न न्यायालयों में याचिका भी दायर की गयी है। हालांकि अभी तक इनमें से किसी का भी कोई असर नहीं हुआ है। अधिकांश डीपीओ नवीनतम एनटीओ व्यवस्था से सहमत होकर प्रसारकों के साथ पहले ही समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

डिज्नी स्टार, सोनी व जी के बड़े प्रसारकों की तिकड़ी ने एनटीओ 3.0 पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने वाले एमएसओ की सूची के बारे में पहले ही ट्राई को बता दिया है।

टाटा प्ले, डिश टीवी और एयरटेल डिजिटल टीवी ने भी एनटीओ 3.0 को लागू करने की हामी भर दी है और इसके लिए सहमत हो गये हैं।

लड़ाई लड़ने वाले अकेले योद्धा एआईडीसीएफ (ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन) के सदस्य और कुछ संघ हैं। वे करेल उच्च न्यायालय से कुछ स्पष्टता की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसने कार्यान्वयन पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है और अगली सुनवाई 8 फरवरी को है। सिटी केबल आस्तित्व के लिए एक हताशापूर्ण लड़ाई लड़ रहा है और आर्थिक संकट से जूझ रहा है।

एनटीओ 3.0 के वास्तविक पूर्ण पैमाने पर कार्यान्वयन में लगभग 60 दिन लगेंगे। तब तक हमें उच्च न्यायालय से स्पष्ट संकेत मिल जायेगा कि एनटीओ 3.0 को रोकने का कोई स्पष्ट निर्देश है या नहीं। लेकिन मौजूदा दौर में यह दूर की कौड़ी लगती है।

प्रसारक एनटीओ 3.0 को लागू करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

एलसीओ डिजिटल केबल टीवी उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा की देने की भी मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि इससे उन्हें उन लाभों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी जो दूरसंचार कंपनियां आनंद ले रही हैं। और एलसीओ समुदाय को लगता है कि अगर हर भारतीय नागरिक तक ब्रॉडबैंड पहुंचाने की राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति काम करती है तो एलसीओ देशभर में अंतिम मील कनेक्टिविटी में ब्रॉडबैंड देने में मदद करने के लिए एक प्रमुख हितधारक होंगे। यह एक मान्य विंदु है और सरकार द्वारा गंभीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है।

आइये, हम आशा करें कि केबल टीवी उद्योग द्वारा छोड़ी गयी लड़ाई का कोई समाधान निकलेगा और वे आने वाले दिनों को बेहतर देखेंगे।

(Manoj Kumar Madhavan)

